न्यायालय– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रतलाम म.प्र.

आरक्षीकेन्द्र स्टेशन रोड रतलाम के अपराध कं.104/20

.....

प्रतिलिपि–जमानत आदेश

20.05.2020 राज्य द्वारा ए डी पी ओ।
आरोपी रतन द्वारा श्री सिराजुद्दीन खान अधिवक्ता।

प्रकरण आरोपी रतन के धारा167 (2)दं प्र सं के आवेदन पर आदेश हेतु नियत है।

आरोपी रतन की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र में निवेदन किया गया है कि आरोपी को पुलिस के द्वारा भोपाल जेल से फार्मल गिरफतार किया गया है। 60 दिन हो चुके हैं किन्तु अभियोग पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी दशा में आरोपी रतन को उपरोक्त प्रावधान के अंतर्गत जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया है।

पत्रावली एवं प्रस्तुत प्रतिवेदन का अवलोकन करने से दर्शित हुआ है कि आरोपी रतन भोपाल जेल में अन्य प्रकरण में निरूद्ध है तथा इस प्रकरण में प्रोडक्शन वारंट जारी होकर वर्तमान समय तक आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रसतुत नहीं किया गया है तथा आरोपी से चोरी गई कार की जप्ती होना भी शेष है।

ऐसी दशा में उपरोक्त तथ्यों से यही दर्शित होता है कि आरोपी की वर्तमान अपराध कं104/20 में केवल फार्मल गिरफतारी हुई है। आरोपी रतन को न्यायालय में प्रस्तुत कर कोई रिमाण्ड प्रदाय नहीं किया गया है। आरोपी रतन की व्यक्तिगत उपस्थिति न्यायालय के समक्ष नहीं हुई है।

आरोपी की ओर से श्री खान अधिवक्ता के द्वारा न्याय दृष्टांत अंजय सिंह वि. म.प्र.राज्य आई एल आर (2009) एम पी 1193 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि इस न्याय दृष्टांत के आलोक में फार्मल गिरफतारी से भी 60 दिन की गणना की जा सकती है।

इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के विभिन्न न्याय दृष्टांत कोकसिंह वि0 म.प्र. राज्य (2004) 2 एम पी एच टी 215, छगन्ती सत्यनारायण वि0 आंधप्रदेश राज्य ए आई आर 1986 एस सी 2130 तथा रवि प्रकाश सिंह वि0 बिहार राज्य ए आई आर 2015 एस सी 1294 अवलोकनीय हैं, जिनमें यह स्पष्ट अभिमत दिया गया है कि 60/90 दिन की गणना गिरफतारी दिनांक से नहीं होकर

प्रथम रिमाण्ड दिनांक से की जाना होती है, फार्मल गिरफतारी से अवधि की गणना नहीं होती है।

इस प्रकार उपरोक्त न्याय दृष्टांतों को आरोपी की ओर से प्रस्तुत न्याय दृष्टांत में उल्लेखित एवं विवेचित भी नहीं किया गया है। आरोपी की ओर से प्रस्तुत न्याय दृष्टांत सम्माननीय है। किन्तु वर्तमान तथ्यों एवं प्रश्नों के संबंध में उपरोक्त अन्य समस्त न्याय दृष्टांत अधिक अनुकरणीय दर्शित होते हैं।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से आरोपी रतन सिंह की न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थिति आज तक नहीं होकर कोई रिमाण्ड प्रदान नहीं किया गया है। ऐसी दशा में 60 दिवस की अवधि की गणना प्रारम्भ होना दर्शित नहीं होती है।

अतः आरोपी की ओर से प्रस्तुत धारा 167 (2) दं प्र सं के अंतर्गत जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है।

प्रकरण में आरोपी रतन का पुनः प्रोडक्शन वारंट जारी किया जावे।

प्रकरण आरोपी रतन की उपस्थिति एवं अभियोग पत्र प्रस्तुति हेतु पूर्ववत नियत दिनांक 02.06.2020 को पेश हो।

sd/-
(निलेश कुमार जिरेती)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रतलाम(म0प्र0)